



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082026-275478
CG-DL-E-14082026-275478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 669]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

सं. 43/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 733(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 06/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 40/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 3 अगस्त, 2026 द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 700(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

No. 43/2026-Central Excise

G.S.R. 733(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (4), for the entry, the entry “Nil” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 15th August, 2026.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E), dated the 26th March, 2026 and last amended by notification No. 40/2026-Central Excise dated 3rd August, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 700(E), dated 3rd August, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

सं. 44/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 734(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर “19.5 रुपये प्रति लीटर” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 08/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 41/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 3 अगस्त, 2026 द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 701 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

No. 44/2026-Central Excise

G.S.R. 734(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 08/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 207 (E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 19.5 per litre” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 15th August, 2026.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 08/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 207 (E), dated the 26th March, 2026 and last amended by notification No. 41/2026-Central Excise dated 3rd August, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 701 (E), dated 3rd August, 2026

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

सं. 45/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 735(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 210 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 2 के समक्ष, स्तंभ (4) में, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 11/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 210 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 42/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 3 अगस्त, 2026 द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

No. 45/2026-Central Excise

G.S.R. 735(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210 (E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (4), for the entry, the entry "Nil" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 15th August, 2026.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 11/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210 (E), dated the 26th March, 2026 and last amended by Notification No. 42/2026-Central Excise dated 3rd August, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E), dated 3rd August, 2026.